

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा० नि० वि० खण्ड पीलीबंगा

क्रमांक :- ९९०

दिनांक :- 19/06/2024

Principal
Good Day Defence School
7 STG, Hanumangarh

विषय :- शिक्षण भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक GDDS/2024-25/441 dated 17/06/2024

Your DD No. 996539 Date 17/06/2024 Rs. 6000/-

महोदय,

सहायक अभियन्ता सा० नि० वि० उपखण्ड पीलीबंगा की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर


संलग्न नक्शों में दर्शाये गये भवन के कमरों उपयोग हेतु सुरक्षित पाये जाने पर नीचे दी शर्तों पर सुरक्षा

प्रमाण - पत्र जारी किया जाता है :-

1. भवन में नया निर्माण कार्य करने पर विभाग को तुरन्त सूचना दी जावे।
2. भवन की छत अथवा दीवार में दृष्टि या दरार दृष्टिगत होने पर विभाग को सूचना दी जावे अन्यथा प्रार्थी किसी भी अनहोनी के लिये स्वयं जिम्मेवार होगा।
3. बरसात से पहले प्रारम्भिक सुरक्षा के समस्त उपाय करने की जिम्मेदारी संस्था की होगी।
4. यह प्रमाण-पत्र 3 वर्ष तक के लिये मान्य होगा।
5. सुरक्षा प्रमाण-पत्र तीन वर्ष पश्चात् लेना अनिवार्य है।
6. भवन संरचनात्मक विवरण उपलब्ध नहीं होने पर संरचना की आंतरिक सामर्थ्य सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
7. यह भवन शैक्षणिक उपयोग के लिये उपर्युक्त है या नहीं, इसकी समस्त जिम्मेवारी भवन संचालक/ शिक्षा विभाग की होगी।
8. भवन के कानुनी दस्तावेज के लिये प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।
9. ए.सी सीट/खीप की छत/टिन शेड सुरक्षित नहीं है।

टिप्पणी:- (वर्ष के दौरान यदि भवन स्कूल के अतिरिक्त अन्य गतिविधि के लिये उपयोग में लिया जाता है तो यह प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।)

भवदीय


अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड
पीलीबंगा